अध्याय 3

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में दिल्ली के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है और नागरिकों के सामाजिक– आर्थिक कल्याण के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बुनियादी नागरिक सुविधाओं के क्षेत्रों में विश्वस्तर का इंफ्रास्ट्रचर विकसित किया है तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं पर विशेष बल दिया है। दिल्ली का बजट आकार बढ़कर 2021–22 में 69000 करोड़ रुपये हो गया है जो 2014–15 में कुल 36766 करोड़ रुपये था। योजनाओं/ कार्यक्रमों/ परियोजनाओं के बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है और यह 2021–22 में बढ़ाकर 37800 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि 2014–15 में यह 17700 करोड़ रुपये था।

2. विद्यार्थी परामर्श, अंग्रेजी बोलने में निपुणता के लिए विशेष कक्षाएं और संचार योग्यता कक्षाएं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, छात्रों को सीड मनी, मिशन उत्कृष्टता, दिल्ली की योगशाला, दिल्ली में लोगों के घरों तक सेवाएं पहुंचाने, सीसीटीवी कैमरे, वाई–फाई दिल्ली, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना आदि से दिल्ली के नागरिकों के जीवन–स्तर में बहुत सुधारात्मक बदलाव आया है। इसलिए बजट के जरिए निवेशों से दिल्ली में लोगों को स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा की उत्तम सुविधाएं मिल रही हैं।

3. दिल्ली में बजट और परिणामी बजट का उपयोग कार्यनिष्पादन के ऐसे पैमाने के रूप में किया जाता है जिनसे बेहतर सेवाएं प्रदान करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाने, सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन का समय–समय पर आकलन करने और योजनाओं के बेहतर प्रबंधन से बजट को लागत की दृष्टि से फायदेमंद बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली सरकार परिणामी बजट पर कार्यनिष्पादन बजट भी प्रस्तुत करती है जिससे परिणामी बजट के महत्वपूर्ण संकेतकों के 'पटरी पर होने' या 'पटरी से उतरने' की स्थिति का पता चलता है।

4. दिल्ली के 2021–22 के परिणामी बजट के अंतर्गत 21 प्रमुख विभाग शामिल हैं। प्रत्येक विभाग के तहत प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान की गयी है और उनके अंतर्गत आने वाले आउटपुट तथा आउटकम के प्रमुख संकेतकों को परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये संकेतक स्मार्ट (यानी विशिष्ट, मापनीय, संदर्भित, वास्तविक और लक्षित) बने रहे और एक ही विभाग के तहत तथा विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं की एक–दूसरे से तुलना की जा सके।

5. जहां तक योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत धन के आवंटन और खर्च की स्थिति का सवाल है, इस अध्याय में आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जैसे प्राथमिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, एजेंसी वार वर्गीकरण आदि। 2016–17 तक आंकड़ों को योजना और गैर–योजना श्रेणियों में रखा जाता था और इस अध्याय में केवल योजना खंड की चर्चा की जाती थी, लेकिन वर्ष 2017–18 से इसे योजनाओं और स्थापना खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा। 2017–18 से इस अध्याय में केवल योजना खर्च की चर्चा की जाती है।

6. पंचवर्षीय योजनाएं

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वीकृत योजना परिव्यय और खर्च विवरण 3.1 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.1
दिल्ली का पंचवर्षीय योजनाओं का योजना परिव्यय और खर्च 1951–2017

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजनाएं	योजना परिव्यय	कुल खर्च	योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में खर्च
1.	पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956	6.30	4.70	74.60
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961	17.00	15.37	90.41
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966	99.33	93.10	93.73
4.	चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974	168.77	155.16	91.94
5.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979	363.75	341.34	93.84
6.	छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985	1039.38	1041.95	100.25
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990	2537.34	2631.47	103.71
8.	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997	4500.00	6208.32	137.96
9.	नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002	15541.28	13465.09	86.64
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007	23000.00	22646.00	98.46
11.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012	54799.15	53478.86	97.59
12.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017	90000.00	70497.04	78.33

*नोट : 2014–15 से योजना परिव्यय में सी.एस.एस. भी शामिल है।

7. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कुल 4.70 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 70497.04 करोड़ रुपये हो गया।

8. 2017–18 में नीति आयोग, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के बाद से पंचवर्षीय योजना व्यवस्था समाप्त कर दी। 2017–18 के बाद से बजट ''स्थापना और योजनाएं'' श्रेणियों में राजस्व और पूंजी मदों के तहत बनाया जाता है।

9. योजना/कार्यक्रम/परियोजनाएं बजट आबंटन

2017–18 से 2020–21 के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आवंटन और खर्च विवरण 3.2 में दिया गया है:

विवरण 3.2

दिल्ली का योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और खर्च

क्रम सं.	वर्ष	परिव्यय (बजट अनुमान)	परिव्यय (संशो. अनु.)	कुल खर्च	परिव्यय के प्रतिशत के रूप में खर्च (संशो. अनु.)
1	2017-18	18500	16000.00	14387.47	89.9
2	2018-19	22000	18200.00	15672.03	86.1
3	2019-20	27000	22200.00	20307.02	91.5
4	2020-21	29500	23100	19259	83.4
5	2021-22	37800*			

* वर्ष 2021–22 में योजना/कार्यक्रम/परियोजना बजट आबंटन का प्रारूप बदल दिया गया है। इसलिये परिवहन, विद्युत, ऊर्जा, नागरिक आपूर्ति, जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र की सब्सिडी और अनुदान की कुछ कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम ''स्थापना बजट''की जगह ''योजना बजट'' के तहत स्थानांतरित कर दी गई है।

10. वर्ष 2019–20 में योजना/कार्यक्रम/परियोजना के अंतर्गत संशोधित अनुमानों से जुड़ा व्यय 91.5% था जो कोविड महामारी के कारण 2020–21 में घटकर 83.4% रह गया।

11. 2017–18 से 2021–22 के लिए राजस्व, पूंजी और ऋण के तहत बजट और व्यय का वर्षवार आवंटन विवरण 3.3 में दिया गया है।

विवरण 3.3

दिल्ली में योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और खर्च (राजस्व, पूंजी और ऋण के अंतर्गत)

(करोड़ रुपये में)

	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
राजस्व										
बजट अनुमान	9151	50	12809	58	13533	50	14363	49	23439	62
संशोधित अनुमान	8825	55	9346	51	11557	52	12771	55		
व्यय	7991	56	8320	53	10693	53	10442	54		
पूंजी										
बजट अनुमान	7614	41	7586	35	11418	42	12183	41	12212	32
संशोधित अनुमान	5472	34	6552	36	8076	36	7326	32		
व्यय	4756	33	5051	32	7048	35	5828	30		
ऋण										
बजट अनुमान	1735	9	1605	7	2050	8	2955	10	2149	6
संशोधित अनुमान	1702	11	2302	13	2566	12	3003	13		
व्यय	1641	11	2301	15	2566	12	2989	16		
कुल										
बजट अनुमान	**18500**		**22000**		**27000**		**29500**		**37800**	
संशोधित अनुमान	**16000**		**18200**		**22200**		**23100**			
व्यय	**14387**		**15672**		**20307**		**19259**			

12. सब्सिडी को ''स्थापना बजट'' से हटाकर ''योजना बजट'' के तहत लाए जाने के कारण राजस्व मद का बजट आबंटन 2017–18 के 50% से काफी बढ़कर 2021–22 में 62% हो गया।

13. योजना/कार्यक्रम/परियोजना के लिए एजेंसी–वार व्यय का विवरण 3.4 में दिखाया गया है :

विवरण 3.4

योजना/कार्यक्रम/परियोजना के लिए एजेंसी–वार व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विभाग/एजेंसी	2017-18 (व्यय)	2018-19 (व्यय)	2019-20 (व्यय)	2020-21 (व्यय)	2021-22 (ब.अ.) *
1	जीएनसीटीडी के विभाग	10818.41	12310.99	15648.55	12989.32	31899.36
2	उत्तरी दिल्ली नगर–निगम	780.98	219.32	1009.48	1024.80	1044.80
3	दक्षिणी दिल्ली नगर–निगम	535.98	117.12	595.92	555.00	645.90
4	पूर्वी दिल्ली नगर–निगम	423.31	299.17	661.57	537.60	646.65
5	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	2.41	2.65	2.50	99.37	100.67
6	दिल्ली जल बोर्ड	1730.00	2315.98	2210.00	3419.00	3274.00
7	डीयूएसआईबी (DUSIB)	96.25	406.70	178.89	633.26	187.02
8	दिल्ली छावनी परिषद	0.15	0.10	0.11	0.30	1.60
	कुल	**14387.47**	**15672.03**	**20307.02**	**19258.65**	**37800.00**

* *चालू वित्त वर्ष का बजट का अनुपम दिया गया है ।*

14. योजना/कार्यक्रम/परियोजनाएं के तहत प्राथमिकता क्षेत्र का क्षेत्रवार व्यय चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1

योजना/कार्यक्रम/परियोजनाएं के तहत प्राथमिकता क्षेत्र का क्षेत्रवार व्यय

(करोड़ रुपये में)

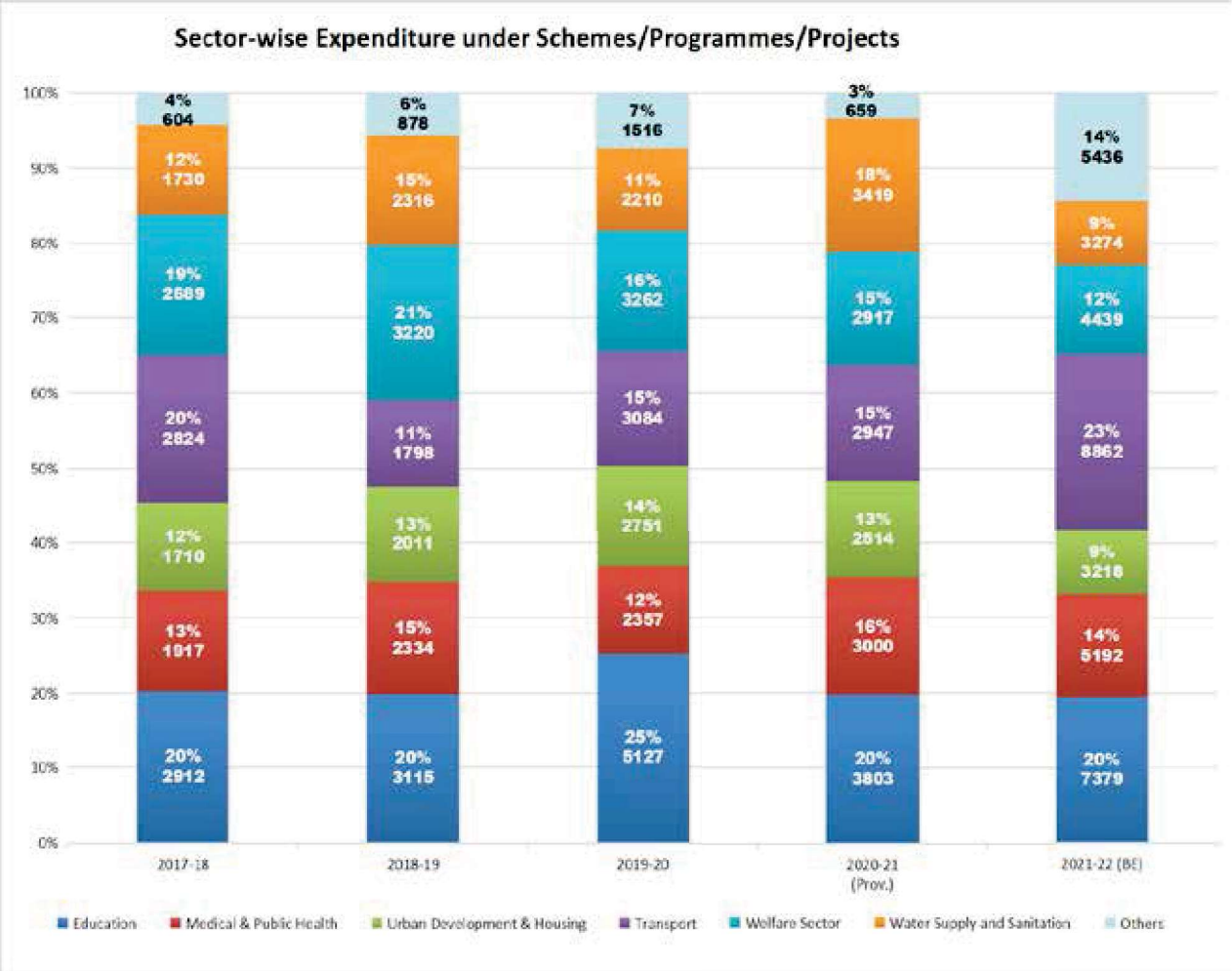

नोट : शिक्षा में सामान्य शिक्षा क्षेत्र (उच्च शिक्षा सहित), तकनीकी शिक्षा क्षेत्र, कला और संस्कृति क्षेत्र, खेल और युवा सेवा क्षेत्र तथा ''मिड–डे मील'' यानी दोपहर का भोजन, डीटीटीई, श्रम तथा श्रम कल्याण क्षेत्र, एनसीसी (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली पुरातत्व विभाग (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

15. उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 2021–22 में परिवहन क्षेत्र के लिए 8862 करोड़ रुपये का सर्वाधिक प्रावधान किया गया जो कुल बजट का 23% है और ऐसा मुख्य रूप से सब्सिडी की व्यवस्था ''स्थापना बजट'' से हटाकर ''योजना बजट'' में किए जाने से हुआ। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र का नम्बर रहा जिसके लिए 7379 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जो कुल बजट का 20% है। चिकित्सा और जनस्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 14% अर्थात् 5192 करोड़ रुपये का और कल्याण क्षेत्र के लिए 12% यानी 4439 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था।

16. 2017–18 से 2021–22 की अवधि में योजना/कार्यक्रम/परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए कार्यों के लिए बजट प्रावधान और पूंजी व्यय विवरण 3.5 में दिया गया है:

विवरण 3.5

योजना/कार्यक्रम/परियोजना का बजट प्रावधान और पूंजी व्यय–(लोक निर्माण विभाग)

(करोड़ रुपये में)

		2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22
क्र. सं.	सेक्टर का नाम	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.04	0.2	0.17	0	0.2	0.2	0.08	0.25
2	परिवहन	1183	1060	922	1591	1096	924	1895	886	783	1648	981	937	1978
3	सामान्य शिक्षा	759	638	544	435	582	437	1415	1246	1168	1410	833	807	1280
4	तकनीकी शिक्षा	54	19	15	68	30	16	97	15	9	88	9	6	21
5	खेल और युवा सेवाएं	40	35	31	50	41	28	50	40	33	50	50	43	50
6	चिकित्सा	585	285	263	723	282	205	887	299	250	870	434	421	924
7	जन स्वास्थ्य	15	3	2	5	5	4	5	4	3	10	1	1	10
8	आवास	1	1	1	1	3	2	7	8	6	10	4	3	28
9	श्रम और श्रमिक कल्याण	65	17	15	110	95	13	128	18	10	56	14	10	30
10	समाज कल्याण	67	17	11	29	22	13	36	24	15	58	14	13	30
11	महिला एवं बाल विकास	3	6	1	10	6	3	7	2	0	7	2	1	15
12	जेल	55	32	27	20	45	19	95	228	208	58	50	43	35
13	सार्वजनिक निर्माण	169	157	121	93	124	112	248	194	110	398	200	162	245
14	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20	13	12	25	16	13	72	47	34	190	14	12	110
15	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2	2	0	6	5	1	6	5	4	6	4	3	6
	कुल योग	**3017**	**2284**	**1964**	**3164**	**2352**	**1790**	**4947**	**3017**	**2633**	**4859**	**2611**	**2463**	**4762**

नोटः योजना/कार्यक्रम/परियोजना का पूंजी आबंटन अनुदान की विस्तृत मांग से मेल नहीं खाएगा क्योंकि जीआईए पूंजी अनुदानों की विस्तृत मांग राजस्व सेक्शन (भाग) में जोड़ी गई है।

17. योजना/कार्यक्रम/परियोजना : 2021–22 के प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार आबंटन चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है

चार्ट 3.2

2021–22 में योजना/कार्यक्रम/परियोजना के प्राथमिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार बजट आबंटन – 2021–22

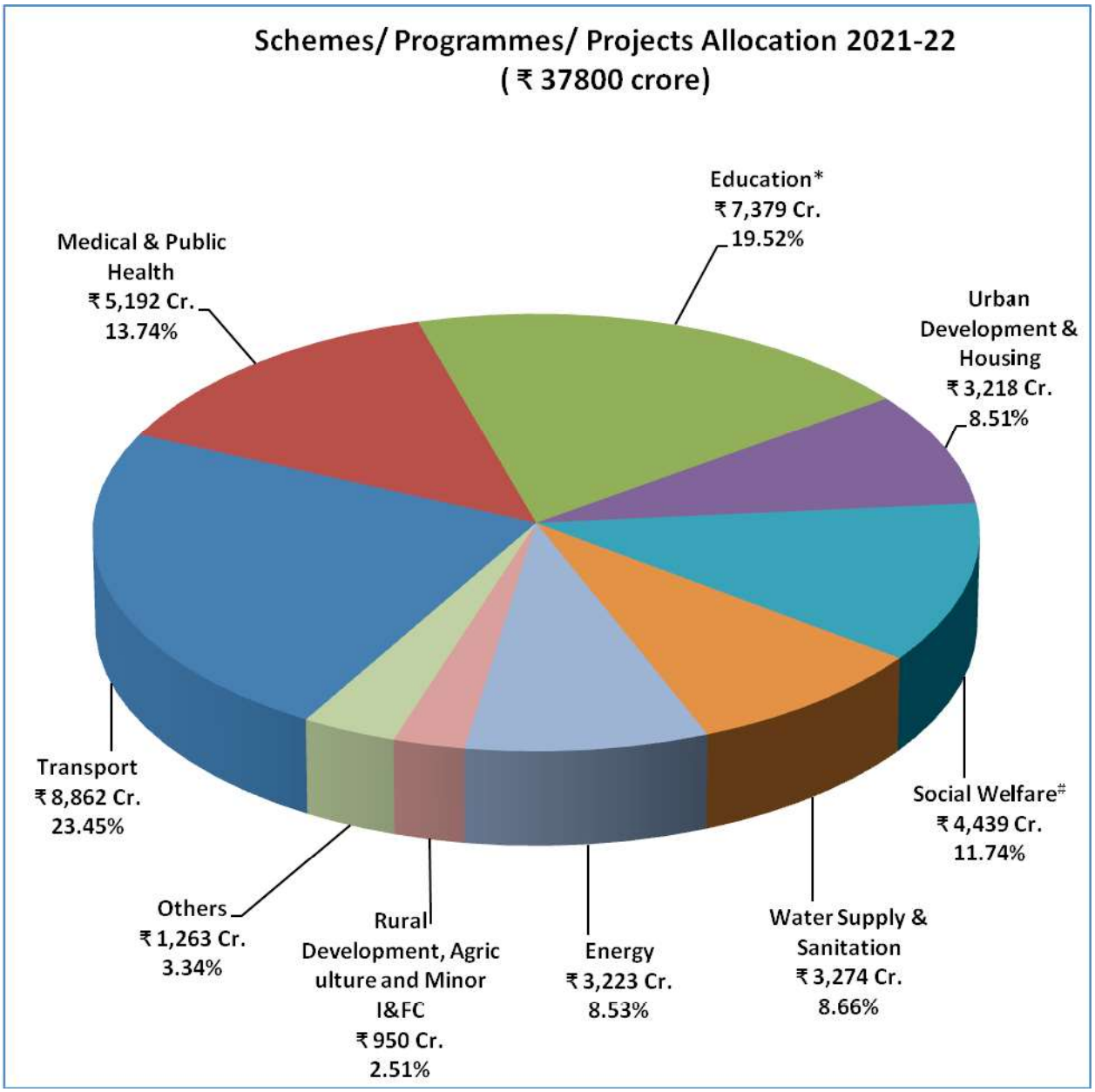

* इसमें सामान्य शिक्षा क्षेत्र (उच्च शिक्षा सहित), तकनीकी शिक्षा क्षेत्र, कला एवं संस्कृति क्षेत्र, खेल और युवा सेवा क्षेत्र और दोपहर के भोजन, डीटीटीई श्रम एवं श्रमिक कल्याण, एनसीसी (पीडब्ल्यूडी), श्रम और रोज़गार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

इसमें डब्ल्यूसीडी, एससी /एसटी/ओबीसी कल्याण, समाज कल्याण, नागरिक आपूर्ति, पोषण (एमडीएम को छोड़कर), श्रम और श्रमिक कल्याण (डीटीटीई को छोड़कर), माप और तोल (पीडब्ल्यूडी), श्रम और रोजगार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

18. चार्ट 3.2 से स्पष्ट है कि 2021–22 में योजना/कार्यक्रम/परियोजना बजट आबंटन में परिवहन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और कुल बजट का 23.45 प्रतिशत इस क्षेत्र के लिए आबंटित किया गया। शिक्षा क्षेत्र (19.52%), चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (13.74%), समाज कल्याण (11.74%), जलआपूर्ति और स्वच्छता (8.66%), ऊर्जा (8.53%) और शहरी विकास (8.51%) के लिए आबंटित किया गया।

19. जीएनसीटडी की योजना/ कार्यक्रमों के तहत परिव्यय और व्यय का समाज सेवा क्षेत्र के लिए, जिसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वचछता, आवास, शहरी विकास, समाज कल्याण, एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक कल्याण/श्रम और रोज़गार, नागरिक आपूर्ति और पोषण क्षेत्र शामिल हैं जिनका 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) और 2017–18 के बाद का विवरण चार्ट 3.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) और 2017–18 के बाद की योजना/कार्यक्रम/परियोजना में समाज सेवा क्षेत्र के लिए प्रावधान और व्यय

(करोड़ रुपये में)

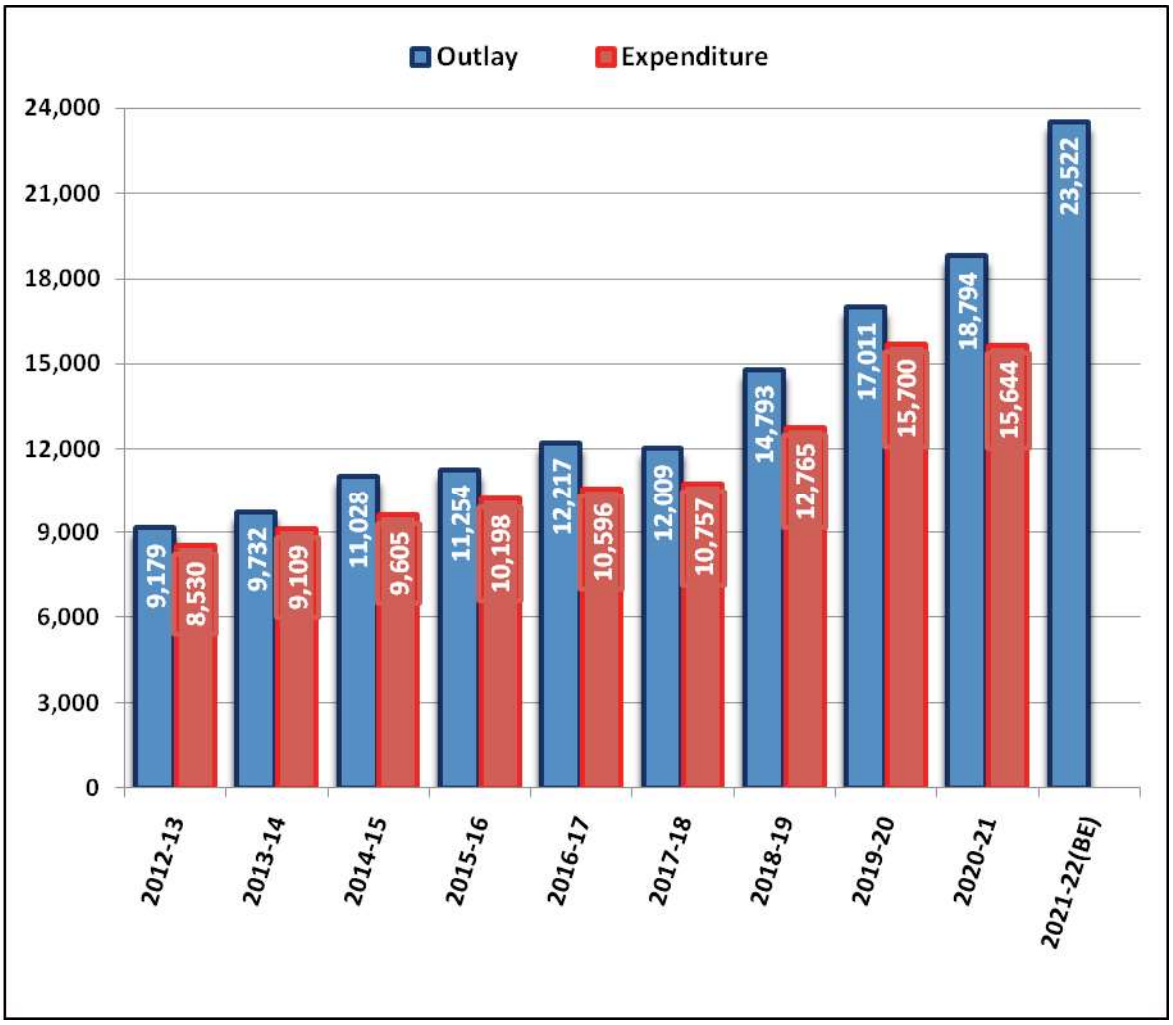

20. 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में समाज सेवा क्षेत्र के लिए आबंटन का विवरण–3.6 में दर्शाया गया है।

विवरण 3.6
10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में समाज सेवा क्षेत्र के लिए आबंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजनाएं	कुल योजना परिव्यय (संशो. अनु.)	सामाजिक क्षेत्र का योजना परिव्यय (संशो. अनु.)	कुल परिव्यय में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत	कुल खर्च	सामाजिक क्षेत्र का योजना परिव्यय	कुल खर्च में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत
1	10th (2002-2007)	24342.67	12353.24	50.74	22846.98	11050.42	48.36
2	11th (2007-2012)	55900.00	32338.40	57.85	53478.86	30547.74	57.12
3	12th (2012-2017)	78950.00	53410.89	67.65	70497.04	48038.52	68.14

21. योजना/कार्यक्रम/परियोजना के लिए समाज सेवा क्षेत्र का बजट प्रावधान विवरण 3.7 में दर्शाया गया है:

विवरण 3.7
सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोनाओं के लिए बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	कुल परिव्यय (संशो. अनु.)	सामाजिक क्षेत्र का परिव्यय (संशो. अनु.)	कुल परिव्यय में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत	कुल खर्च	खर्च	कुल खर्च में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा
1.	2017-18	16000	12009	75.1	14387	10757	74.8
2.	2018-19	18200	14793	81.3	15672	12765	81.5
3.	2019-20	22200	17011	76.6	20307	15700	77.3
4.	2020-21	23100	18794	81.4	19259	15644	81.2
5.	2021-22	37800 (ब.अ.)	23522 (ब.अ.)	62.2			

22. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिल्ली की दसवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्रों का आवंटन 50.74 प्रतिशत से बढ़कर ग्यारहवीं योजना में 57.85 प्रतिशत और बारहवीं योजना में 67.65 प्रतिशत हो गया। यही आवंटन 2017–18 में 75.1 प्रतिशत से 2018–19 में 81.3 प्रतिशत हो गया जबकि 2019–20 में मामूली गिरावट से 76.6 प्रतिशत और 2021–22 में 62.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गया।

23. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के योजना परिव्यय और खर्च के बारे में अन्य सांख्यिकीय सूचनाएं क्रमशः टेबल सं. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 में देखी जा सकती हैं।